भारतीय कानून रिपोर्ट

भोपिंदर सिंह ढिल्लों और एम. आर. शर्मा से पहले, जे.जे.

गुरनाम सिंह, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त),-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य,-प्रतिवादी।

मैं

1980 की सिविल रिट याचिका संख्या 1515।

5 सितम्बर 1980.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 221-उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम (1954 का XXVIII)-धारा 5 से 10 और 24(2) (ए)-उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956-नियम 2-अखिल भारतीय सेवा ¬विस (छुट्टी) नियम, 1955-नियम 20-बी-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का लाभ नहीं उठा रहे हैं-ऐसे न्यायाधीश सेवानिवृत्ति पर-क्या अप्रयुक्त अर्जित अवकाश के बदले वेतन के हकदार हैं-भुगतान के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है छुट्टी के वेतन के बराबर नकद का भुगतान - नियम 20-बी - क्या ऐसे न्यायाधीशों पर लागू होता है - छुट्टी के वेतन के बराबर नकद का भुगतान - क्या धारा 24 (2) (ए) के अर्थ के भीतर एक न्यायाधीश की अनुपस्थिति की छुट्टी से जुड़ा मामला है).

माना गया कि भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 221 (2) के प्रावधान, न्यायाधीशों को ऐसे भत्ते और अनुपस्थिति की छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकार देते हैं जो समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं। किसी न्यायाधीश के खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के बराबर नकद प्राप्त करने का अधिकार वैध रूप से अनुपस्थिति अवकाश के संबंध में एक अधिकार माना जा सकता है। छुट्टी के वेतन के बराबर नकद प्राप्त करने का ऐसा अधिकार अनुपस्थिति की छुट्टी के संबंध में अधिकारों से जुड़ा है, जिसके लिए एक न्यायाधीश हकदार हो सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों का अवलोकन, उन छुट्टियों के संबंध में जिनके लिए न्यायाधीश हकदार हैं, स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि अधिनियम के प्रावधान सभी अधिकारों से संबंधित संपूर्ण संहिता नहीं हैं। अनुपस्थिति अवकाश की पुनरावृत्ति. यह अधिनियम की धारा 24(2) (ए) के प्रावधानों से और भी स्पष्ट है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले नियम न्यायाधीश की अनुपस्थिति की छुट्टी प्रदान कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अधिनियम स्वयं अनुपस्थिति की छुट्टी के संबंध में न्यायाधीशों के सभी अधिकारों से विस्तृत रूप से निपटता नहीं था और अधिनियम में कुछ मामले बचे थे जिन्हें नियम बनाकर कवर किया जाना था। यह अधिनियम की धारा 24 के तहत शक्तियों के अनुसरण में है कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 का नियम 2 अधिनियमित किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें

न्यायालय जिसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए अधिनियम एसएसएस में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 का नियम 20-बी, न्यायाधीशों पर लागू होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों से संबंधित

क्षेत्र जिसके लिए अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, नियम 20-बी के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है क्योंकि अधिनियम में या ह्यूज़ में कोई प्रावधान नहीं है। इसमें न्यायाधीशों को अवकाश वेतन के बराबर नकद भुगतान का दावा करने से रोका गया है। नियमों का नियम 20-बी लागू होने पर न्यायाधीश अप्रयुक्त अर्जित अवकाश के बदले वेतन का हकदार होगा। (पैरा 8 और 12,.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका जिसमें सर्टिओरीरी, परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट की प्रार्थना की गई है। उत्तरदाताओं को निर्देशित करते हुए निर्देश या आदेश जारी किया जाए:-

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड पेश करना;

(ii) यह घोषित किया जाए कि याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए महंगाई भत्ते सहित 180 दिनों की अवधि के लिए छुट्टी वेतन के बराबर नकद भुगतान का हकदार है। याचिकाकर्ता को तुरंत भुगतान करने के लिए उत्तरदाताओं को परमादेश रिट जारी करके निर्देशित किया जाए;

(हाय) उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए उसकी पेंशन को फिर से तय करने का निर्देश दिया जाए;

(iv) वेतन आदि के बकाया के रूप में परिणामी लाभ भी दिए जा सकते हैं;

(v) इस याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता के वकील जवाहर लाल गुप्ता।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए, वकील, कुलदीप सिंह।

प्रलय

भूपिंदर सिंह ढिल्लों, जे.

(1) याचिकाकर्ता 24 फरवरी, 1972 को प्रथम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ में पदोन्नत होने से पहले हरियाणा राज्य में सुपीरियर न्यायिक सेवा का सदस्य था? 18 मार्च, 1980 को उन्होंने 62 वर्ष की आयु प्राप्त की और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता को अपने

क्रेडिट अर्जित अवकाश जिसका लाभ उसने सेवा के दौरान नहीं लिया था। याचिकाकर्ता ने अप्रयुक्त अर्जित अवकाश के बदले वेतन का दावा किया। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि वह महंगाई भत्ते का हकदार है. याचिकाकर्ता को इन दोनों राहतों से इनकार कर दिया

गया क्योंकि, उत्तरदाताओं के अनुसार, याचिकाकर्ता अप्रयुक्त अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद प्राप्त करने का हकदार नहीं है और न ही वह महंगाई भत्ते का हकदार था। इस स्थिति में याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की कि याचिका में की गई प्रार्थनाओं की अनुमति देने के लिए उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए। 1

(2) भारत सरकार की ओर से भारत सरकार के उप सचिव श्री के.सी. कंकन के लिखित बयान के माध्यम से दायर उत्तर में, तथ्य विवादित नहीं हैं। हालाँकि, यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 (इसके बाद इसे कहा जाएगा) के नियम 2 के अनुसार, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर अर्जित अवकाश की अवधि के बदले छुट्टी वेतन के बराबर नकद प्राप्त करने का हकदार नहीं है। 'नियम') अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20-बी को लागू नहीं करेगा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों पर लागू होते हैं। जहां तक महंगाई भत्ते के भुगतान का संबंध है, रिटर्न में यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता इसका हकदार है। यह कहा गया है कि 3 जुलाई,

(3) 1980 को भारत सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 1 दिसंबर, 1978 से महंगाई भत्ता पाने के हकदार हैं। इसलिए, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता इसके हकदार होंगे। उसके द्वारा दावा किया गया महंगाई भत्ता।

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 221 के प्रावधान, जो न्यायाधीशों के वेतन आदि से संबंधित हैं, इस प्रकार हैं:-

"221. न्यायाधीशों के वेतन, आदि.- (1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

(4) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों और अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो समय-समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं और, जब तक ऐसा निर्धारित न हो, ऐसे भत्तों और अधिकारों का हकदार होगा। दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं;

बशर्ते कि उसकी नियुक्ति के बाद न तो किसी न्यायाधीश के भत्ते और न ही अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसके नुकसान के लिए बदलाव किया जाएगा।

(4) संसद ने एक अधिनियम बनाया है जिसे उच्चतम न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 कहा जाता है (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा)। अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान एक न्यायाधीश को स्वीकार्य छुट्टी के प्रकार से संबंधित हैं। धारा 4 मुख्य रूप से छुट्टी खाते से संबंधित है जो देय छुट्टी की राशि दिखाती है और आगे प्रावधान करती है कि एक न्यायाधीश द्वारा वास्तविक सेवा पर खर्च किए गए समय का एक-चौथाई हिस्सा उसके छुट्टी खाते में जमा किया जाएगा। धारा 5 छुट्टी की कुल राशि से संबंधित है जो एक न्यायाधीश को दी जा सकती है। धारा 5-ए आधे भत्ते की छुट्टी को पूरे भत्ते की छुट्टी में बदलने से संबंधित है। धारा 6, देय नहीं छुट्टी के अनुदान से संबंधित है जबकि धारा 7 विशेष विकलांगता छुट्टी के अनुदान से संबंधित है। धारा 8 असाधारण छुट्टी का प्रावधान करती है धारा 9 छुट्टी भत्ते का प्रावधान करती है और धारा 10 ज्वाइनिंग समय के लिए भत्ते से संबंधित है। धारा 13 में यह प्रावधान है कि किसी न्यायाधीश को छुट्टी देने या अस्वीकार करने या किसी न्यायाधीश की छुट्टी रद्द करने, कम करने का अधिकार उस राज्य का राज्यपाल होगा जिसमें उच्च न्यायालय की मुख्य सीट स्थित है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद। . धारा 14 न्यायाधीशों को देय पेंशन से संबंधित है। अधिनियम के अन्य प्रावधानों का संदर्भ देना आवश्यक नहीं है और यह कहना पर्याप्त है कि अधिनियम की धारा 24 इस प्रकार है: -

"24. नियम बनाने की शक्ति.- (1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्: -

(ए) न्यायाधीश की अनुपस्थिति की छुट्टी;

(बी) न्यायाधीश को देय पेंशन;

(सी) न्यायाधीश को यात्रा भत्ता;

(सी-ए) धारा 22ए की उपधारा (1) के तहत एक न्यायाधीश द्वारा आधिकारिक निवास का उपयोग;

(डी) चिकित्सा उपचार की सुविधाएं और न्यायाधीश की सेवा की अन्य शर्तें;

(ई) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।

(3* * * * *

* * * * * *»

(5) अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसरण में, नियम (अर्थात, उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956) तैयार किए गए हैं। नियमावली का नियम 2 इस प्रकार है

इस प्रकार है:-

"2. कुछ मामलों में सेवा की शर्तें - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा की शर्तें, जिनके लिए उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, शुरू से ही रहेंगी। संविधान को उस समय के नियमों द्वारा निर्धारित किया गया माना जाएगा जो उस राज्य की सरकार के सचिव का पद धारण करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य पर लागू होता है जिसमें उच्च न्यायालय की मुख्य सीट स्थित है :

बशर्ते कि, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में सेवा की शर्तें भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर पद धारण करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य पर लागू होने वाले नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। नई दिल्ली में तैनात भारत सरकार के संयुक्त सचिव:

बशर्ते कि, अस्पतालों में चिकित्सा उपचार और आवास की सुविधाओं के संबंध में अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1934 के प्रावधान, न्यायाधीश के समक्ष उनके आवेदन में, 26 जनवरी से प्रभावी माने जाएंगे। , 1950:

बशर्ते कि जहां राष्ट्रपति के अनुरोध पर, कोई न्यायाधीश अपने मुख्यालय से दूर किसी इलाके में अपने सामान्य कर्तव्यों के बाहर किसी भी कार्य का निर्वहन करता है, राष्ट्रपति, ऐसे कार्य और इलाके की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सुविधाओं का निर्धारण कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश को आवास, परिवहन और टेलीफोन सहित वहन किया जा सकता है, जब तक वह बिना किसी भुगतान के या रियायती दर पर ऐसे कार्यों का निर्वहन करना जारी रखता है।

(6) यह उचित रूप से बताया जा सकता है कि अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के 20-बी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों पर लागू होते हैं, इस प्रकार हैं: -

"20-बी. अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान.- (1) सरकार किसी सदस्य को स्वत: मंजूरी देगी

वह सेवा जो अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1953 के नियम 16 के उप-नियम (1) के तहत 30 सितंबर को या उसके बाद 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होता है। टेम्बर, 1977, (अधिकतम 180 दिनों के अधीन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर उनके खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद।

(5) उपरोक्त उप-नियम (1) के तहत सेवा के एक सदस्य को देय छुट्टी वेतन के नकद समकक्ष में सेवानिवृत्ति की तारीख पर लागू दरों पर छुट्टी वेतन पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता भी शामिल होगा, और इसका भुगतान एकमुश्त किया जाएगा

राशि, एकमुश्त निपटान के रूप में।

(3) इस नियम के तहत छुट्टी वेतन के नकद समकक्ष की गणना में शहर प्रतिपूरक भत्ता और मकान किराया भत्ता शामिल नहीं किया जाएगा।

(4) इस प्रकार निकाले गए नकद समकक्ष से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के पेंशन समकक्ष के कारण कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(5) सेवा का एक सदस्य जो निलंबन के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होता है, उसे अपने खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में उपरोक्त उप-नियम (1) के तहत छुट्टी वेतन के बराबर नकद भुगतान किया जाएगा। उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर, बशर्ते कि बहाली का आदेश देने में सक्षम प्राधिकारी की राय में, सेवा के सदस्य को पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है और निलंबन पूरी तरह से अनुचित था। टी

(7) इसमें याचिकाकर्ता की ओर से नियम 2 के प्रावधानों पर विचार किया गया है, याचिकाकर्ता इसका हकदार है

अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955* के नियम 20-बी का लाभ क्योंकि अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो नियम 20-बी के क्षेत्र को कवर करता हो। दूसरी ओर, भारत संघ के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित छुट्टी से संबंधित प्रश्न के संबंध में

अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और इसलिए, यह नहीं हो सकता है। यह माना जाएगा कि नियमों के प्रावधानों के मद्देनजर, अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 का नियम 20-बी लागू होगा। विकल्प में, यह तर्क दिया गया है कि अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के बराबर नकद भुगतान न्यायाधीश की अनुपस्थिति की छुट्टी से जुड़ा मामला नहीं है, जैसा कि अधिनियम की धारा 24 द्वारा निर्धारित है और इसलिए, उपरोक्त नियम 20-बी को इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता कि उसे रोका जा सके। उक्त नियम को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लागू माना जा सकता है। अधिनियम का. तीसरा, यह तर्क दिया गया है, जैसा कि रिटर्न में भी कहा गया है, कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों पर लागू अवकाश नियम न्यायाधीशों पर लागू होने वाले नियमों से पूरी तरह से अलग हैं; इसलिए। का नियम 20-बी. द. अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 को न्यायाधीशों पर अलग से लागू नहीं किया जा सकता।

(8) पार्टियों के लिए सीखी गई सलाह की सुनवाई के बाद और दलीलों के माध्यम से, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता को सफल होना चाहिए। के अनुच्छेद 221(2) के प्रावधान. भारत का संविधान न्यायाधीशों को ऐसे भत्तों और अनुपस्थिति अवकाश तथा पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का अधिकार देता है जो समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं। किसी न्यायाधीश के खाते में अर्जित छुट्टी की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद प्राप्त करने का अधिकार वैध रूप से अनुपस्थिति की छुट्टी के संबंध में एक अधिकार माना जा सकता है। छुट्टी के वेतन के बराबर नकद प्राप्त करने का ऐसा अधिकार अनुपस्थिति की छुट्टी के संबंध में अधिकारों से जुड़ा है, जिसके लिए एक न्यायाधीश हकदार हो सकता है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 221(2) के प्रावधानों को व्यापक रूप से वर्णित किया गया है और इसमें अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में वेतन छोड़ने के बराबर नकद प्राप्त करने का अधिकार सहित ऐसे सभी अधिकार शामिल हैं जो अधिकार में हैं। अनुपस्थिति अवकाश का सम्मान. छुट्टी से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन, जिसके लिए न्यायाधीश हकदार हैं, स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि अधिनियम के प्रावधान अनुपस्थिति की छुट्टी के संबंध में सभी अधिकारों से संबंधित संपूर्ण संहिता नहीं हैं। अधिनियम की धारा 3 से 8 विभिन्न प्रकार की छुट्टियों से संबंधित है जिसके लिए न्यायाधीश हकदार हैं। धारा 9 और 10 से संबंधित है

अवकाश भत्ते. भारत संघ के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह द्वारा अधिनियम के प्रावधानों से यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बताया जा सका कि अधिनियम स्वयं अनुपस्थिति की छुट्टी के संबंध में सभी अधिकारों के संबंध में एक पूर्ण संहिता है। इस अनुमान को अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों से भी समर्थन मिलता है। धारा 24 की उपधारा (2) में, यह प्रावधान किया गया है कि विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्: -

"(ए) न्यायाधीश की अनुपस्थिति की छुट्टी;

(बी) * * * * *।"

यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अधिनियम स्वयं अनुपस्थिति की छुट्टी के संबंध में न्यायाधीशों के सभी अधिकारों से विस्तृत रूप से निपटता नहीं था और अधिनियम में कुछ मामले बचे थे जिन्हें नियम बनाकर कवर किया जाना था। यह अधिनियम की धारा 24 के तहत शक्तियों के अनुसरण में है कि नियमों का नियम 2 अधिनियमित किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें, जिनके

लिए अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शासित होंगी। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि नियमों के नियम 2 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम के प्रावधान अनुपस्थिति की छुट्टी के संबंध में न्यायाधीशों के सभी अधिकारों के संबंध में एक पूर्ण संहिता नहीं हैं। और, इसलिए, जो क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर नहीं किया गया है, उसे शासक द्वारा कवर किया जाना चाहिए, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों पर लागू होते हैं। इसलिए, भारत संघ की ओर से उठाया गया पहला विवाद बिना किसी योग्यता के है।

(9) जहां तक भारत के यू की ओर से दूसरे विवाद का संबंध है, यह भी बिना किसी योग्यता के प्रतीत होता है। यह अधिनियम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों से संबंधित है। न्यायाधीशों की अनुपस्थिति की छुट्टी के संबंध में नियमों के अलावा, अधिनियम न्यायाधीशों को देय पेंशन, पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी, पेंशन का रूपान्तरण, भविष्य निधि, यात्रा भत्ते, किराया मुक्त मकान की सुविधा, वाहन भत्ते के संबंध में भी प्रावधान करता है। सत्कार भत्ता, आदि। नियम 2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों के संबंध में अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो फिलहाल नियम लागू होंगे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य लागू होंगे। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि नियमों के नियम 2 के प्रावधानों को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत, केंद्र सरकार को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। अधिनियम। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अधिनियम के उद्देश्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों से संबंधित हैं, न कि केवल अनुपस्थिति की छुट्टी से संबंधित मामलों से। दूसरे शब्दों में, यदि भारत संघ के विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो नियमों के नियम 2 को अधिनियम के दायरे से बाहर माना जाना चाहिए। रिटर्न में ऐसी कोई दलील नहीं दी गई है और न ही नियम को कोई चुनौती दी गई है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) में दी गई सामान्य शक्तियों के अलावा, नियम 2 के अधिनियमन को धारा की उप-धारा (2) के खंड (ए) और (बी) के तहत उचित ठहराया जा सकता है। अधिनियम के 24 भी. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 221 के प्रावधान इतने व्यापक हैं कि इसमें अनुपस्थिति अवकाश और पेंशन के संबंध में ऐसे भत्ते और ऐसे अधिकार शामिल हैं, जो कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(10) यह हो सकता है। t शायद>roउचित रूप से मनाया गया; sthis; चरण 8 में भारत संघ ने अपने रिटर्न में स्पष्ट रूप से यह रुख अपनाया है कि

भारत सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियमों के नियम 2 के तहत 1 दिसंबर, 1978 से पूर्वव्यापी प्रभाव से महंगाई भत्ता लेने के हकदार हैं और 3 जुलाई, 1980 को आदेश जारी किए गए हैं। यह देखा जाना चाहिए कि भले ही अधिनियम या नियमों के तहत महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं किया गया है, नियम 2 की प्रयोज्यता को देखते हुए, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा नियमों को लागू करता है, जहां अधिनियम या नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है। नियमों के अनुसार, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि न्यायाधीश भी महंगाई भत्ते के लाभ के हकदार हैं जो नियमों के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के

सदस्यों के लिए स्वीकार्य है। इसलिए, यह तर्क कि नियम 2 नियम बनाने की शक्ति से परे है, बिना किसी योग्यता के है।

(11) इसके अलावा, मैं यह मानने में असमर्थ हूं कि छुट्टी के वेतन के बराबर सी का भुगतान न्यायाधीश की अनुपस्थिति की छुट्टी से जुड़ा अधिकार नहीं है। एक न्यायाधीश अधिनियम के तहत अर्जित अवकाश का हकदार है और यदि उसने अर्जित अवकाश का उपयोग नहीं किया है, तो क्या उसे अवकाश वेतन के बराबर नकद भुगतान किया जाना चाहिए, यह निश्चित रूप से एक प्रश्न है जो न्यायाधीश की अनुपस्थिति की छुट्टी से संबंधित है; इसलिए, दूसरा विवाद भी निराधार है।

(12) अंतिम विवाद के संबंध में हम देख सकते हैं कि यदि नियमों के नियम 2 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 195ए का नियम 20-बी, सेवा शर्तों पर लागू होता है। एक न्यायाधीश का यह तर्क कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को नियंत्रित करने वाले अवकाश नियम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियंत्रित करने वाले अवकाश नियमों से भिन्न हैं, वास्तव में बिना किसी योग्यता के है। नियमों के नियम 2 के प्रावधानों को बहुत व्यापक रूप से वर्णित किया गया है। उक्त नियम से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों से संबंधित क्षेत्र, जिसके लिए अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, उन नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो फिलहाल लागू हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम या उसके तहत नामित नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि न्यायाधीशों को छुट्टी के वेतन के बराबर नकद भुगतान से वंचित किया गया है। यह निश्चित रूप से सेवा की एक शर्त है। श्री कुलदीप सिंह का यह तर्क कि अवकाश वेतन के बराबर भुगतान प्राप्त करने का अधिकार न्यायाधीशों की सेवा की शर्त नहीं है, वास्तव में बिना किसी योग्यता के है। विद्वान वकील ने माना कि अब तक यह दृढ़ता से माना जा चुका है कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो सेवा की शर्तों का अभिन्न अंग है। पेंशन प्राप्त करने का अधिकार सेवानिवृत्ति के बाद ही मिलता है। इस संबंध में पंजाब राज्य बनाम के.आर. एरी और सोभाओ राज मेहता (1) मामले में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। उसी सादृश्य पर, भले ही अवकाश वेतन के बराबर नकद भुगतान का लाभ सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त होता हो, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि यह अधिकार किसी न्यायाधीश की सेवा शर्तों का हिस्सा नहीं है। न्यायाधीशों से संबंधित अधिनियम में दिए गए छुट्टी नियमों के साथ छुट्टी के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों पर लागू नियमों की तुलना अत्यधिक अनुचित है और इसकी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल यह माना जाता है कि नियमों के नियम 2 के प्रावधानों के मद्देनजर, छुट्टी वेतन के बराबर नकद अनुदान का प्रश्न अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में नहीं निपटाया गया है, नियम 20-बी अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 लागू होंगे और एक न्यायाधीश उक्त नियम के लाभ के हकदार होंगे। ! क !;

(13) तर्क यह है कि अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20-बी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष का प्रावधान है, जबकि सेवानिवृत्ति की आयु

(1) 1972 एस.एल.आर. 836.

एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 62 वर्ष है और इसलिए, नियम लागू नहीं होगा, फिर भी यह बिना किसी योग्यता के है। जब नियमों के नियम 2 ने सेवा की उन शर्तों के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा पर लागू होने वाले नियमों को बना दिया है जो अधिनियम में प्रदान नहीं किए गए हैं, तो न्यायाधीशों पर लागू होते हैं, अखिल भारतीय के नियम 20-बी में परिणामी परिवर्तन सेवा (अवकाश) नियम, 1955 को ध्यान में रखते हुए

संविधान और अधिनियम के प्रावधानों को उपरोक्त नियम 20-बी में पढ़ना होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20-बी को लागू करते समय, नियमों में उल्लिखित 58 वर्ष की आयु को 62 वर्ष के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

(14) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(15) ऊपर दर्ज कारणों से, हम रुपये की लागत के साथ इस याचिका को स्वीकार करते हैं। 200 और निर्देश दें कि याचिकाकर्ता उक्त नियमों के आर. 20-बी के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख पर अपने खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद प्राप्त करने का हकदार होगा। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, महंगाई भत्ते के अनुदान के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा भारत संघ द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।

(16) भारत संघ के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए प्रमाण पत्र देने के लिए मौखिक प्रार्थना की है। हमारी राय है कि मामला इतना स्पष्ट होने के कारण, यह उपयुक्त मामला नहीं है जहां अपेक्षित प्रमाणपत्र दिया जा सके। इसलिए, इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

एन.के.एस. ; '

एस.एस. सेंधव से पहले। सी.जे. और आर.एन.मित्तल, जे.

करतार सिंह, अपीलकर्ता।

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

आर.एस.ए. क्रमांक 357 ईएफई 1975.

17 फ़रवरी 1981.

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 311-पंजाब सिविल 1 सेवा नियम, खंड 2-नियम 5.32-सरकारी कर्मचारी को विस्तार दिया गया

स्थानीय : भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तांकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उददेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शवीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा